

मुकदमों का विवरण

आय कर-10 के प्रधान आयुक्त बनाम.

मेसर्स कृषाक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। (2018 की सिविल अपील संख्या 836)

15 सितंबर, 2023

[बी. वी. नागरत्ना और

प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:क्या निर्धारिती द्वारा अर्जित लाभांश आय कर योग्य है, हालांकि भारत और ओमान के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डी. टी. ए. ए.) के लाभों के लिए निर्धारिती को हकदार बनाने के लिए ओमानी कर कानूनों के तहत छूट दी गई है।

आय कर-डी. टी. ए. ए. और ओमानी कर कानून-निर्धारिती को निम्नलिखित के तहत लाभ होता है:

आयोजित किया गया:वित्त मंत्रालय के ओमान सलतनत के कराधान महासचिव द्वारा संबोधित दिनांक 11.12.2000 (ओमानी कर कानूनों के अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 8 (bis) में निहित प्रावधानों की व्याख्या करते हुए) का एक स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि कर-मुक्त कंपनियों सहित सभी कंपनियों द्वारा वितरित लाभांश को प्राप्तकर्ताओं के हाथों में आयकर के भुगतान से छूट दी जाएगी-छूट की सुविधा का विस्तार करके, ओमान सरकार निवेश आकर्षित करके ओमान के भीतर विकास को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का इरादा रखती है-चूंकि निर्धारिती ने ओमान में एक स्थायी प्रतिष्ठान स्थापित करके परियोजना में निवेश किया है, क्योंकि संयुक्त उद्यम ओमानी कानूनों के तहत एक अलग कंपनी के रूप में पंजीकृत है, यह ओमान के भीतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अनुच्छेद 8 के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता कर रहा है।

590

आय कर-10 का प्रधान आयोग बनाम एम./एस. कृषाक भारती सहकारी लिमिटेड।

अपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी सअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी भअपीलार्थी
ीअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी नअपीलार्थी ूपीलार्थी यअपीलार्थी अपीलार्थी
कअपीलार्थी ंअपीलार्थी पअपीलार्थी नअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी
ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी शअपीलार्थी ेअपीलार्थी यअपीलार्थी रअपीलार्थी
अपीलार्थी पअपीलार्थी ूअपीलार्थी ंअपीलार्थी जअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी
मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी शअपीलार्थी ेअपीलार्थी यअपीलार्थी

[illegible]

[illegible]

हअपीलार्थी ीअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ाअपीलार्थी नअपीलार्थी
ाअपीलार्थी अपीलार्थी जअपीलार्थी ाअपीलार्थी एअपीलार्थी गअपीलार्थी ाअपीलार्थी
अपीलार्थी जअपीलार्थी बअपीलार्थी अपीलार्थी इसहपठित अपीलार्थी अपीलार्थी इअपीलार्थी
सअपीलार्थी अपीलार्थी तअपीलार्थी रअपीलार्थी हअपीलार्थी सहपठित अपीलार्थी अपीलार्थी
मअपीलार्थी ाअपीलार्थी नअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी गअपीलार्थी यअपीलार्थी
ाअपीलार्थी अपीलार्थी थअपीलार्थी ाअपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी औअपीलार्थी
रअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी छअपीलार्थी ूअपीलार्थी
टअपीलार्थी अपीलार्थी दअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी गअपीलार्थी ईअपीलार्थी
अपीलार्थी थअपीलार्थी ीअपीलार्थी ।अपीलार्थी [पैरा 15,16,17,18 और 20]

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2018 की सिविल अपील संख्या 836।

2016 के आई. टी. ए. No.578 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित
21.04.2017 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2019 की सिविल अपील Nos.3369,2018 की 2256 और 2023 की
5900,5902,5901।

रूप:

बलबीर सिंह, ए. एस. जी., अरिजीत प्रसाद, अरविंद पी. दातार, अजय वोहरा, वरिष्ठ
अधिवक्तागण , रुपेश कुमार, सुश्री रुक्मिणी बोंबडे, अनिरुद्ध शर्मा-द्वितीय, इंद्रजीत प्रसाद,
विजयानंद त्रिपाठी, राज बहादुर यादव, मेसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री
सुरेखा रमन, प्रशांत कुमार नायर, अभिषेक आनंद, श्रेयश कुमार, सुश्री कविता झा, वैभव
कुलकर्णी, उदित नरेश, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

592

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा, जे।

2018 की एसएलपी (सी) डायरी संख्या 4647 और 2023 की एसएलपी (सी) डायरी
संख्या 15333 में देरी को माफ कर दिया गया।

2. एस. एल. पी. (सी) संख्या 2018 की डायरी संख्या 4647, 2023 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 11204 और 2023 की डायरी संख्या 15333 में अनुमति दी गई है।

3. यह निर्णय 2018 की सिविल अपील संख्या 836, 2019 की सी. ए. संख्या 3369, 2018 की सिविल अपील संख्या 2256 और 2018 की एस. एल. पी. (सी) डायरी संख्या 4647, 2023 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 11204 और 2023 की एस. एल. पी. (सी) @डायरी संख्या 15333 से उत्पन्न अपीलों के निपटारे को नियंत्रित करता है।

पृष्ठभूमि तथ्य:

4. निर्धारिती भारत में पंजीकृत एक बहु-राज्य सहकारी समिति है, जो उर्वरक विभाग, कृषि और सहयोग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत है। उर्वरकों के निर्माण के अपने व्यवसाय के दौरान, इसने ओमान उर्वरक कंपनी एस. ए. ओ. सी. (संक्षेप में 'ओ. एम. आई. एफ. सी. ओ.' या 'जे. वी.')

बनाने के लिए ओमान तेल कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया, जो ओमानी कानूनों के तहत ओमान में एक पंजीकृत कंपनी है। जे. वी. में निर्धारिती की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जे. वी. उर्वरकों का निर्माण करता है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा खरीदा जाता है। निर्धारिती की ओमान में एक शाखा कार्यालय है जो डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 25 के संदर्भ में ओमान में स्थायी स्थापना का दर्जा रखने वाले ओमानी कानूनों के तहत कंपनी के रूप में स्वतंत्र रूप से पंजीकृत है। शाखा कार्यालय अपनी लेखा पुस्तकों का रखरखाव करता है और ओमानी आयकर कानूनों के तहत आय विवरणी प्रस्तुत करता है।

5. संबंधित वर्ष के लिए निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 143 (3) के तहत पूरा किया गया था। आकलन कार्यालय ने संयुक्त उद्यम से निर्धारिती द्वारा प्राप्त लाभांश आय के संबंध में कर क्रेडिट की अनुमति दी। लाभांश आय को भारतीय कर कानूनों के अनुसार मूल्यांकन में कर के प्रभार में लाया गया था। हालाँकि, ओमानी कर कानूनों के तहत, वर्ष 2000 से ओमानी कर कानूनों में किए गए संशोधनों के आधार पर लाभांश आय को छूट दी गई थी।

593

आय कर-10 का प्रधान आयोग बनाम एम./एस. कृषाक भारती सहकारी लिमिटेड। [प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 594

6. आकलन कार्यालय ने उक्त कर के लिए क्रेडिट की अनुमति दी, जो ओमान में देय होता, लेकिन छूट दी गई। इसके बाद, प्रधान आयकर आयुक्त (संक्षेप में, 'पी. सी. आई. टी.')

ने अधिनियम की धारा 263 के तहत इस आधार पर कारणदर्शक नोटिस जारी किया कि डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 25 (4) पर निर्भरता इस मामले में गलत थी और अधिनियम की धारा 90 के तहत निर्धारिती को कोई कर क्रेडिट देय नहीं था। इस सूचना का निर्धारिती द्वारा विधिवत जवाब दिया गया था। हालाँकि, पी. सी. आई. टी. ने निर्धारिती द्वारा उठाई गई सभी दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ओमानी कर कानूनों का अनुच्छेद 25 तत्काल मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि ओमान में लाभांश पर कर देय है और तदनुसार, कोई कर का भुगतान नहीं किया गया है और वह निर्धारिती छूट के दायरे में नहीं आता है।

7. पी. सी. आई. टी. के आदेश पर सवाल उठाते हुए, निर्धारिती ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में, 'आई. टी. ए. टी.')

 के समक्ष एक अपील को प्राथमिकता दी, जिसने अपील की अनुमति देते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 263 के तहत पी. सी. आई. टी. द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र के बाहर है और कानून में टिकाऊ नहीं है।

8. आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आयकर अपील को प्राथमिकता देकर चुनौती दी गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले द्वारा खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि भारत और ओमान के बीच डी. टी. ए. ए. की प्रासंगिक शर्तों के अनुसार, निर्धारिती कर क्रेडिट का दावा करने का हकदार है, जिसे निर्धारण कार्यालय द्वारा उचित रूप से अनुमति दी गई है।

दलों द्वारा जुटाई गई सामग्री:

9. श्री अरिजीत प्रसाद, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि अनुच्छेद 11 (4) केवल उस मामले में लागू होगा जहां निर्धारिती का स्थायी प्रतिष्ठान (संक्षेप में, 'पीई') ओमान में व्यवसाय कर रहा था, जबकि हाथ में मामले में, पीई केवल प्रारंभिक और सहायक कार्य कर रहा है और इसका कोई ठोस खर्च नहीं है। इसलिए, निर्धारिती की लाभांश आय उसके पी. ई. से संबंधित नहीं है। यह भी तर्क दिया जाता है कि कराधान के लिए महासचिव के हस्ताक्षर के तहत ओमान सल्तनत, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 11.12.2000 दिनांकित छूट पत्र का ओमानी कर कानूनों के अनुसार कोई वैधानिक बल नहीं है, इसलिए छूट का दावा करने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

10. इसके विपरीत, निर्धारिती की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अरविंद पी. दत्तार ने तर्क दिया कि डी. टी. ए. ए. के प्रावधानों में निर्धारिती को ओमान में लाभांश पर कर के भुगतान से पूरी तरह से छूट दी विद्वान है, जो बदले में,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

निर्धारिती को भारत में कराधान से छूट दी जाएगी। आगे यह तर्क दिया जाता है कि ओमान सल्तनत, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पत्र ओमानी शासन के सर्वोच्च प्राधिकरण से निकलता है, इसलिए, उक्त पत्र में दिया गया स्पष्टीकरण डी. टी. ए. ए. के प्रासंगिक खंडों की व्याख्या के लिए मान्य है, ताकि निर्धारिती को ओमान में और बदले में भारत में लाभांश कर के भुगतान से छूट दी जा सके।

इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले मुद्दे:

11. सभी मामलों में कानून का एक समान सवाल शामिल है कि क्या निर्धारिती द्वारा अर्जित लाभांश आय कर योग्य है, हालांकि भारत और ओमान के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते

(संक्षेप में, 'डीटीएए') के लाभों के लिए निर्धारिती को हकदार बनाने के लिए ओमानी कर कानूनों के तहत छूट दी गई है।

विश्लेषण और परिणाम:

12. इन अपीलों में निर्णय डी. टी. ए. ए. और ओमानी कर कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों के इर्द-गिर्द घूमता है, इसलिए, तैयार संदर्भ के लिए उन्हें निकालना एक पेशेवर तालिका है। अनुच्छेद 7 व्यावसायिक पेशेवरों के बारे में बात करता है जो इस प्रकार है:

“अनुच्छेद 7.

एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के लाभ केवल उस राज्य में कर योग्य होंगे जब तक कि उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में उसमें स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय नहीं करता है। यदि उद्यम उपरोक्त व्यवसाय करता है, तो उद्यम के लाभ पर अन्य संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, लेकिन उनमें से केवल उतना ही कर लगाया जा सकता है जितना कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस स्थायी प्रतिष्ठान को दिया जाता है।”

अनुच्छेद 11 लाभांश से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

“अनुच्छेद 11 विभाजन

1. किसी संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए गए लाभांश पर उस अन्य संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है।

595

आय कर-10 का प्रधान आयोग बनाम एम./एस. कृषाक भारती सहकारी लिमिटेड। [प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 596

2. तथापि, ऐसे लाभांश पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिसमें लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी निवासी है और राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांश का लाभकारी मालिक है, तो इस प्रकार प्रभारित कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा:

((क) लाभांश की सकल राशि का 10 प्रतिशत यदि लाभप्रद कंपनी का मालिक ऐसी कंपनी है जिसके पास लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी के कम से कम 10 प्रतिशत शेयर हैं।

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभांश की सकल राशि का साढ़े बारह प्रतिशत। यह अनुच्छेद उस लाभ के संबंध में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें से लाभांश का भुगतान किया जाता है। 3. इस अनुच्छेद में उपयोग किए गए "लाभांश" शब्द का अर्थ है शेयरों या अन्य अधिकारों से आय, जो ऋण-दावे नहीं हैं, लाभ में भाग लेने के साथ-साथ अन्य निगमित अधिकारों से आय जो संविदाकारी राज्य के कानूनों द्वारा शेयरों से आय के समान कराधान व्यवहार के अधीन है, जिसमें वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान तब लागू नहीं होंगे जब लाभांश का लाभार्थी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, उस अन्य संविदाकारी राज्य में व्यवसाय करता है, जिसमें लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी निवासी है, उसमें स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से या उस अन्य संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं का प्रदर्शन करता है, और जिस होल्डिंग के संबंध में लाभांश का भुगतान किया जाता है, वह प्रभावी रूप से ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या संविदाकारी आधार से जुड़ा होता है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 16, जैसा भी मामला हो, के प्रावधान लागू होंगे।

5. जहां एक संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी अन्य संविदाकारी राज्य से लाभ या आय प्राप्त करती है, वहां अन्य संविदाकारी राज्य कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश पर कोई कर नहीं लगा सकता है, सिवाय इसके कि उस अन्य संविदाकारी राज्य के निवासी को ऐसे लाभांश का भुगतान किया जाता है या जहां तक वह होल्डिंग जिसके संबंध में लाभांश का भुगतान किया जाता है, वह प्रभावी रूप से किसी स्थायी प्रतिष्ठान या उस अन्य संविदाकारी राज्य में स्थित एक निश्चित आधार से जुड़ा होता है, और न ही कंपनी के वितरित नहीं किए गए लाभ पर कंपनी के वितरित नहीं किए गए लाभ पर कर लगा सकता है, भले ही लाभांश का भुगतान किया गया हो या

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

वितरित न किए गए लाभ में ऐसे अन्य संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ या आय का पूरी तरह से या आंशिक रूप से शामिल होता है।”

दोहरे कराधान से बचने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 25 में निहित है, जिसे यहां फिर से प्रस्तुत किया गया है:

“25. दोहरा कर लगाने से बचें।

(1) संविदाकारी राज्यों में से किसी एक में लागू कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान को नियंत्रित करना जारी रखेगा, सिवाय इसके कि इस समझौते में इसके विपरीत प्रावधान किए गए हैं। (2) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार ओमान सल्तनत में कर लगाया जा सकता है, भारत उस निवासी की आय पर कर से कटौती के रूप में ओमान सल्तनत में भुगतान किए गए आयकर के बराबर राशि की अनुमति देगा, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या कटौती द्वारा। हालांकि, ऐसी कटौती आयकर के उस हिस्से से अधिक नहीं होगी (जैसा कि कटौती दिए जाने से पहले गणना की गई थी) जो उस आय के लिए जिम्मेदार है जिस पर ओमान सल्तनत में कर लगाया जा सकता है।

(3) जहां ओमान सल्तनत का निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां ओमान सल्तनत निवासी की आय

पर कर से कटौती के रूप में भारत में भुगतान किए गए आयकर के बराबर राशि की अनुमति देगी, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या कटौती द्वारा। हालाँकि, ऐसी कटौती आयकर के उस हिस्से से अधिक नहीं होगी (जैसा कि कटौती दिए जाने से पहले गणना की गई थी) जो उस आय के लिए जिम्मेदार है जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है।

(4) इस अनुच्छेद के पैरा 2 और पैरा 3 में उल्लिखित संविदाकारी राज्य में देय कर में वह कर शामिल माना जाएगा जो संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत दिए गए कर प्रोत्साहन के लिए देय होता और जो विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया होता।

(5) आय जो इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार, किसी संविदाकारी राज्य में कर के अधीन नहीं है, उस संविदाकारी राज्य में लगाए जाने वाले कर की दर की गणना के लिए ध्यान में रखी जा सकती है।”

597

आय कर-10 का प्रधान आयोग बनाम एम./एस. कृषाक भारती सहकारी लिमिटेड। [प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 598

ओमानी कर कानूनों में निहित प्रावधान, जिन पर निर्धारिती ने भरोसा किया, वे इस प्रकार हैं:

“अनुच्छेद 8 (बी. आई. एस.)-इस कानून के अनुच्छेद 8 के प्रावधानों के अपवाद में, कर निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:

1. किसी अन्य कंपनी की पूँजी में इक्विटी शेयरों, भागों या शेयरों के विरुद्ध कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश।

2. मस्कट प्रतिभूति बाजार में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की बिक्री से या उनके निपटान से कंपनी द्वारा अर्जित लाभ या लाभ।”

13. डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 25 (2) में प्रावधान है कि जहां भारत के निवासी को आय प्राप्त होती है, जिस पर इस समझौते के अनुसार ओमान सल्तनत में कर लगाया जा सकता है, भारत उस निवासी की आय पर कर से कटौती के रूप में ओमान सल्तनत में भुगतान किए गए आयकर के बराबर राशि की अनुमति देगा, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या कटौती द्वारा। अनुच्छेद 25 (4) में स्पष्ट किया गया है कि उक्त अनुच्छेद के खंड 2 और खंड 3 में उल्लिखित संविदाकारी राज्य में देय कर में वह कर शामिल माना जाएगा जो संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत दिए गए कर प्रोत्साहन के लिए देय होता और जो विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। 14. राजस्व अनुच्छेद 11 पर निर्भर करता है जो यह प्रावधान करता है कि एक कंपनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए गए लाभांश पर उस अन्य संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है। इस प्रकार, राजस्व के अनुसार, निर्धारिती द्वारा प्राप्त लाभांश भारत में कर योग्य है और इससे छूट नहीं है क्योंकि इसे ओमान में उस देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन के रूप में नहीं बनाया गया है। इसी तरह, यह तर्क दिया जाता है कि कराधान के लिए महासचिव, वित्त मंत्रालय, ओमान

द्वारा जारी पत्र सक्षम ओमानी प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया गया था और इसका कोई वैधानिक बल नहीं है।

15. 'प्रोत्साहन' शब्द की न तो ओमानी कर कानूनों में और न ही आयकर अधिनियम, 1961 में अवहेलना की गई है। इस स्थिति का सामना करते हुए, जे. वी. ने नवंबर, 2000 में ओमान ऑयल कंपनी को एक पत्र संबोधित किया जिसमें ओमानी कर कानूनों के अनुच्छेद 8 (बी. आई. एस.) के उद्देश्य के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। ओमान सल्तनत, वित्त मंत्रालय, मस्कट के कराधान महासचिव द्वारा ओमान ऑयल कंपनी एस. ए. ओ. सी. को संबोधित दिनांक 11.12.2000 का स्पष्टीकरण पत्र महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

“हम उपरोक्त विषय पर आपके 2 दिसंबर, 2000 के पत्र और 8 अगस्त, 2000 के हमारे पिछले पत्र का उल्लेख करते हैं।

ओमान के कंपनी आयकर कानून के अनुच्छेद 8 के तहत, लाभांश कर के लिए प्रभार्य सकल आय का हिस्सा है। ओमान का कर कानून ऐसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मानी जाने वाली कुछ विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों को करने वाली कंपनियों को आयकर छूट प्रदान करता है।

वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लाभ कर कानून में हाल के संशोधनों से पहले, इस कानून के अनुच्छेद 5 में प्राप्तकर्ताओं के हाथों में लाभांश आय की छूट का प्रावधान किया गया था, यदि ऐसे लाभांश उस लाभ से प्राप्त किए गए थे जिस पर ओमान के आयकर का भुगतान वितरण कंपनियों द्वारा किया गया था। इसका मतलब था कि कर मुक्त कंपनियों से छूट प्राप्त लाभों से प्राप्त किसी भी लाभांश आय पर प्राप्तकर्ताओं द्वारा ओमानी आयकर का भुगतान किया जाता था। नतीजतन, कर छूट वाली कंपनियों में निवेशक जो देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मानी जाने वाली गतिविधियों को करते हैं, उन्हें निवेश पर अपने रिटर्न पर कर लागत का सामना करना पड़ता है-उपर्युक्त अनुच्छेद 5 के तहत कर उपचार का कर छूट वाली परियोजना में निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

इसलिए, 1981 के कंपनी आयकर कानून को हाल ही में रॉयल डिक्री संख्या 68/2000 द्वारा एक नए अनुच्छेद 8 (bis) को शामिल करके संशोधित किया गया था, जो कर वर्ष 2000 से प्रभावी है। कंपनी आयकर कानून के नए शुरू किए गए अनुच्छेद 8 (बी. आई. एस.) के अनुसार, कर-मुक्त कंपनियों सहित सभी कंपनियों द्वारा वितरित लाभांश को प्राप्तकर्ताओं के हाथों में आयकर के भुगतान से छूट दी जाएगी। इस तरह ओमान सरकार निवेश आकर्षित करके ओमान के भीतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगी।

हम आपके साथ हमारी हाल की चर्चाओं से अनुमान लगाते हैं कि उपरोक्त परियोजना में भारतीय निवेशक ओमान में स्थायी प्रतिष्ठान की स्थापना करेंगे और परियोजना में उनके इक्विटी निवेश को ऐसे स्थायी प्रतिष्ठानों के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ा जाएगा।

उपरोक्त धारणा पर, हम मानते हैं कि कर भारतीय 599 के स्थायी प्रतिष्ठानों द्वारा अर्जित लाभांश आय पर देय होगा।

आय कर-10 का प्रधान आयोग बनाम एम./एस. कृषाक भारती सहकारी लिमिटेड। [प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 600 निवेशक, क्योंकि यह अनुच्छेद 8 के तहत उनकी सकल आय का हिस्सा होगा, यदि अनुच्छेद 8 (बी. आई. एस.) के तहत प्रदान की गई कर छूट के लिए नहीं।

चूंकि अनुच्छेद 8 (बी. आई. एस.) की शुरुआत ओमान में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए है, भारतीय निवेशकों को भारत में आई. टी. ए. संख्या 6785 और 6786/डी. ई. एल./2015 (ए. वाई. आर. एस.) में राहत प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। 2010-11 और 2011-12) कृषाक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड बनाम। भारत में दोहरे कराधान से बचने के लिए समझौते के अनुच्छेद 25 (4) के तहत एसीआईटी।हमारे पत्र सं. में शामिल अन्य सभी मामले। एफ. टी./13/92 दिनांक 6 अगस्त, 2000 अपरिवर्तित रहा।”

16. इस प्रकार, ओमानी वित्त मंत्रालय के उपरोक्त पत्र से यह स्पष्ट है कि कर-मुक्त कंपनियों सहित सभी कंपनियों द्वारा वितरित लाभांश प्राप्तकर्ताओं के हाथों में आयकर के भुगतान से मुक्त होगा।छूट की सुविधा का विस्तार करके, ओमान सरकार निवेश आकर्षित करके ओमान के भीतर विकास को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का इरादा रखती है।चूंकि निर्धारिती ने ओमान में एक स्थायी प्रतिष्ठान स्थापित करके परियोजना में निवेश किया है, क्योंकि संयुक्त उद्यम ओमानी कानूनों के तहत एक अलग कंपनी के रूप में पंजीकृत है, यह ओमान के भीतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अनुच्छेद 8 (बी. आई. एस.) के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता कर रहा है।ओमान के वित्त मंत्रालय ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि भारतीय निवेशकों के स्थायी प्रतिष्ठानों द्वारा अर्जित लाभांश आय पर कर का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि यह अनुच्छेद 8 (बी. आई. एस.) के तहत प्रदान की गई कर छूट के लिए नहीं तो अनुच्छेद 8 के तहत उनकी सकल आय का हिस्सा होगा।

17. अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 8 (बी. आई. एस.) को सीधे पढ़ने से पता चलता है कि अनुच्छेद 8 के तहत लाभांश कर योग्य है, जबकि अनुच्छेद 8 (बी. आई. एस.) किसी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश को किसी अन्य कंपनी में शेयर पूंजी में शेयरों, भागों या शेयरधारिता के स्वामित्व से छूट देता है।इस प्रकार, अनुच्छेद 8 (बी. आई. एस.) ओमान में अपने पी. ई. से निर्धारिती द्वारा प्राप्त लाभांश कर को छूट देता है और अनुच्छेद 25 के आधार पर, निर्धारिती भारत में उसी कर व्यवहार का हकदार है जो उसे ओमान में प्राप्त हुआ था।

18. जहां तक ओमान में पी. ई. नहीं होने से संबंधित तर्क का संबंध है, यह ध्यान देने योग्य नहीं है कि वर्ष 2002 से 2006 तक ओमान के आयकर कानून के अनुच्छेद 26 (2) के तहत एक सामान्य आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश का प्रारंभिक भाग निकाला है, जो इस प्रकार है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

“हम आय के विवरणी का उल्लेख करते हैं और कर योग्य आय का निर्धारण निम्नानुसार करते हैं:

कृभको मस्कट भारत में पंजीकृत एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति मेसर्स कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा समर्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान है। खातों के अनुसार, क्रिभको-मस्कट ओमान में पंजीकृत एक संयुक्त स्टॉक कंपनी ओमिफको से लाभांश आय की प्राप्ति में है, और यह लाभांश आय क्रिभको-मस्कट के निवेश से जुड़ी है। हालाँकि, लाभांश आय को कंपनी आयकर कानून के अनुच्छेद 8 (बी. आई. एस.) (1) के अनुसार कर से छूट दी गई है।

लाभांश पर कर छूट निवेश आकर्षित करके ओमान के भीतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी जाती है।” इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ओमान में निर्धारिती के प्रतिष्ठान को शुरुआत से ही वर्ष 2011 तक पीई माना गया है। इस बात का कोई कारण नहीं है कि अचानक, ओमान में निर्धारिती के प्रतिष्ठान को पीई के रूप में क्यों नहीं माना जाएगा, जब लगभग 10 वर्षों तक इसे इस तरह से माना जाता था, और ओमानी कर कानूनों के अनुच्छेद 8 (बीआईएस) सहपठित अनुच्छेद 25 में निहित प्रावधानों के आधार पर कर छूट दी गई थी।

19. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस आशय का मुद्दा भी उठाया है कि ओमान सल्तनत के वित्त मंत्रालय के कराधान महासचिव द्वारा जारी किए गए 11.12.2000 दिनांकित पत्र का ओमानी कर कानूनों के अनुसार कोई वैधानिक बल नहीं है, इसलिए छूट का दावा करने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमारे विचार में, उपरोक्त पत्र, जैसा कि इस निर्णय के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में पुनः प्रस्तुत किया गया है, केवल एक स्पष्टीकरणात्मक संचार है जो ओमानी कर कानूनों के अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 8 (बीआईएस) में निहित प्रावधानों की व्याख्या करता है। इस पत्र में ओमान के कर कानूनों में कोई नया प्रावधान नहीं किया गया है। मामले के इस दृष्टिकोण में, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाया गया तर्क हमें निर्धारिती को छूट से इनकार करने के लिए आश्वस्त नहीं करेगा।

20. हमारे सुविचारित विचार में, अपीलार्थी यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है कि डी. टी. ए. के अनुच्छेद 25 और ओमानी कर कानूनों के अनुच्छेद 8 (बी. आई. एस.) में निहित प्रावधान क्यों लागू नहीं होंगे और इसके परिणामस्वरूप, हम मानते हैं कि अपीलों में कोई सार नहीं है और वे खारिज किए जाने के योग्य हैं जिन्हें एतद्द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

अंकित ज्ञान